

>

Title: Need to include 'Bundeli' language in the 8th Schedule to the Constitution.

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): अध्यक्ष जी, बुंदेलखंड क्षेत्र एक विशेष संस्कृति वाला क्षेत्र है और वहां की अपनी एक बुंदेली भाषा है। देश में करीब 60 करोड़ लोग हिंदी भाषा बोलने वाले हैं और इन लोगों में से करीब 12 प्रतिशत लोग बुंदेली भाषा बोलते हैं। भाषा से ही क्रियाओं और विभिन्न संज्ञाओं का ज्ञान होता है और भाषा के द्वारा ही मनुष्य की संवेदनाओं और विचारों को व्यक्त किया जाता है। इस कारण से भारतीय संस्कृति में भाषा पर हर संभव प्रकार से विचार किया गया है। यह उसी का प्रमाण है कि भारतीय संस्कृति के पास साहित्य और भाषा का विपुल भंडार है। संस्कृत भाषा भारतीय भाषाओं सहित विश्व की सभी भाषाओं की जननी है। इसके परिणामस्वरूप भारतवर्ष में 22 भाषाएं अनुसूचित हैं और सैकड़ों भाषाएं तथा बोलियां हैं। इन बोलियों द्वारा ही भारत के पास असीम वैचारिक शक्ति है। संस्कृत की तरह इन भाषाओं के पास भारत के उत्थान और विकास के लिए मार्गदर्शक शक्ति है जिसको और ज्यादा सहजने तथा संवारने की जरूरत है। यदि इनमें कुछ भाषाओं को विशेष संवैधानिक संरक्षण प्राप्त होगा, तो नए भारत का निर्माण और तेजी से होगा।

महोदय, मेरी मांग है कि बुंदेलखंड में 'आल्हा' गायन बुंदेली भाषा में होता है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा खंड काव्य है जो हजारों वर्षों से आज तक जीवित है। दुनिया के विकसित देशों के हजारों छात्र वहां गाई जा रही वीरता की गाथाओं पर शोध कर रहे हैं। महारानी लक्ष्मी बाई हमारे यहां से आईं। आपने हमेशा सुना होगा – 'बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।' मेरा निवेदन है कि आठवीं अनुसूची में भारत सरकार बुंदेली भाषा को जोड़े, ताकि वहां अपनी भाषा समझने वाले छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं में उच्च स्तर पर पहुंच सकें और उच्च पदों पर सुशोभित हो सकें।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा, श्री अनुराग शर्मा और श्री विनोद सोनकर को कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।